छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक 22.10.2010

क्रमांक एफ 20–108/2009/11/(6) – राज्य शासन एतद् द्वारा ''औद्योगिक नीति 2009–14'' के परिशिष्ट–4 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित ''ब्याज अनुदान योजना'' को क्रियान्वित करने हेतु दिनांक **1 नवंबर 2009** से ''**छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009**''निम्नानुसार लागू करता है :

1– परिचय :–

राज्य में स्थापित होने वाले नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने, राज्य में विदेशी पूंजी निवेश बढ़ाने तथा महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं विकलांग वर्ग की औद्योगिक विकास की प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने हेतु औद्योगिक नीति 2009–14 में ''परियोजना प्रतिवेदन अनुदान योजना'' का विस्तार किया गया है ।

2– नियम :–

ये नियम **'' छत्तीसगढ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009''** कहे जायेगें ।

3– प्रभावी दिनांकः–

ये नियम दिनांक **1.11.2009** से प्रभावी माने जायेंगे ।

4– परिभाषाएँ :–

इन नियमों के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेशन, फारवर्ड इंटीग्रेशन, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वृहद उद्योग, मेगा प्रोजेक्ट, अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट, सामान्य उद्योग, प्राथमिकता उद्योग, संतृप्त श्रेणी के उद्योग, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, महिला उद्यमी, विकलांग, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, अप्रवासी भारतीय/शत् प्रतिशत एफ.डी.आई. निवेशक, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक, प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग, राज्य के मूल निवासी, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र, स्थायी पूंजी निवेश/स्थायी पूंजी निवेश की गणना एवं इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु अन्य आवश्यक परिभाषाएं वहीं होंगी जो औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 में अधिसूचित की गई है ।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है –लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–1/आई.ई.एम. /औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज की वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति /ऋण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई हो ।

5— <u>पात्रता :—</u>

(1)— औद्योगिक नीति 2009—14 की कालावधि दिनांक 01.11.2009 से 31.10.2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग /अप्रवासी भारतीय /शत—प्रतिषत एफडीआई निवेशकों/ महिला उद्यमी/ सेवा निवृत्त सैनिक /नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग को ''उपाबंध—2'' में दर्शाये गये उद्योगों को छोड़कर, शेष समस्त नवीन सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों की स्थापना पर परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की पात्रता उद्योग स्थापना उपरांत होगी ।

(2)— पात्र औद्योगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवेदन करना होगा ।

उपरोक्तानुसार निर्धारित कालावधि के पश्चात प्रस्तुत किये गये स्वत्व को यथास्थिति सक्षम अधिकारी उद्योग अपर संचालक/संयुक्त संचालक उद्योग— उद्योग संचालनालय/ मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अधिकतम तीन माह की विलम्ब की अवधि तक गुण दोष के आधार पर स्वीकृत किया जा सकेगा। तीन माह से अधिक विलम्ब की अवधि के प्रकरण सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किये जायेंगे।

(3)— भारत शासन/ राज्य शासन या अन्य राज्य शासन के निगम/ मंडल/संस्था /बोर्ड /आयोग द्वारा स्थापित उद्योगों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(4)— उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि तक अकुषल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी।

(5)— उद्योग स्थापित होने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने के उपरांत ही परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति की जावेगी ।

(6)— राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, उद्योग संचालनालय/ छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन बनवाये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(7)— अन्य स्त्रोतों से यह अनुदान प्राप्त किये जाने पर इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी ।

(8)— औद्योगिक नीति 2004—09 की कालावधि में जिन पात्र उद्योगों ने नियत दिनांक 01.11.2004 को/के पश्चात् उद्योग स्थापना हेतु सक्षम अधिकारी से लघु उद्योग पंजीयन/ई.एम. पार्ट—1/आई.ई.एम./आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस धारित किया हो जो वैध हो किन्तु 31 अक्टूबर 2009 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ नहीं किया हो, उन्हें औद्योगिक नीति 2009—2014 के अर्न्तगत (उपाबंध—2 में

दर्शाये गये उद्योग न होने पर) इस अधिसूचना के अधीन अनुदान प्राप्त करने का विकल्प होगा ।

(9)– औद्योगिक नीति 2009–14 के अन्तर्गत स्थापित नवीन लाजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग एवं कोल्ड स्टोरेज को आर्थिक दृष्टि से विकासशील एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों हेतु निर्धारित मात्रा में निवेश के आकार एवं निवेशकों के वर्ग हेतु निर्धारित दर के आधार पर अधिकतम सीमा के अधीन अनुदान की पात्रता होगी ।

6– <u>परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु एजेन्सी :–</u>

परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने हेतु राज्य शासन वाणिज्य व उद्योग विभाग/ उद्योग संचालनालय/छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा मान्यता प्राप्त प्रोजेक्ट कंसल्टेंट की सूची संधारित की जावेगी जिसमें उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर द्वारा ब्यूरो आफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट भी सम्मिलित होंगे ।

अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट से परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाना, परियोजना पर ऋण उपलब्ध हो जाने की गारंटी नहीं है तथा ऋण न मिलने पर राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/उद्योग संचालनालय/छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 पर पर किसी प्रकार का दावा नहीं किया जा सकेगा, ना ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय होगी ।

7– <u>प्रक्रिया व अधिकार :–</u>

7.1 औधोगिक इकाईयों को ''उपाबंध 1'' अनुसार निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ सबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद ''उपाबंध 4'' में निर्धारित प्रारूप पर कार्यालय द्वारा दी जावेगी।

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध–लघु उद्योग पंजीयन/ई0एम0 पार्ट–1/ आई0ई0एम0/आशय पत्र/औद्योगिक लायसेंस (जो लागू हो)

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र

(3) ''उपाबंध–3'' में निर्धारित प्रारूप पर चाटर्ड एकाउन्टेंट का व्यय से सबंधित प्रमाण पत्र

(4) अनुमोदन प्राप्त प्रोजेक्ट कन्सलटेंट से परियोजना प्रतिवेदन देयक व भुगतान प्राप्ति की रसीद ।

(5) परियोजना प्रतिवेदन की सत्यापित प्रति ।

7.2 औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने तथा वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

7.3 मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा लघु उद्योगों के प्रकरणों में ''उपाबंध 5'' के अनुसार स्वत्व का परीक्षण सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से कराकर स्वत्व के नियमानुसार होने पर ''उपाबंध 5'' में निर्धारित प्रारूप पर ''स्वीकृति आदेश'' जारी किया जायेगा तथा नियमानुसार न होने

पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में 45 दिवसों की निर्धारित कालावधि में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक द्वारा प्रबंधक से स्थल निरीक्षण कराकर अपने अभिमत के साथ प्रकरण उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जायेगा तथा इस प्रकरण में निर्णय अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा लिया जायेगा । प्रकरण नियमानुसार न होने पर निरस्तीकरण आदेश जारी किया जायेगा, जिसमें स्वत्व के निरस्तीकरण का कारण व निरस्तीकरण आदेष से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में 45 दिवसों की निर्धारित कालावधि में अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा।

निर्धारित अवधि के भीतर क्लेम प्रस्तुत न करने पर स्वत्व निरस्त किया जायेगाा ।

7.4 राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार का सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार किया जायेगा ।

7.5 स्वीकृति आदेश जारी होने के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा परियोजना प्रतिवेदन अनुदान मद के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों को बजट उपलब्ध होने पर वितरण किया जायेगा ।

7.6 बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को ''अनुदान स्वीकृति'' के दिनांक के क्रम में किया जायेगा । अनुदान की राशि नकद में नहीं दी जावेगी ।

7.7 बजट आवंटन उपलब्ध न होने के कारण अनुदान देने में विलंब होने पर इसका कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा।

8– <u>परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की दर व मात्राः–</u>

पात्र सामान्य एवं प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों को उद्योग स्थापना उपरांत निम्नानुसार मात्रा में परियोजना प्रतिवेदन अनुदान दिया जायेगा :–

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग –

क्षेत्र	दर व मात्रा
<u>श्रेणी अ–</u> आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (उपाबंध– 6 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 1.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 1.05 लाख) (3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा रू0 1.10 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 2.00 लाख)

श्रेणी ब– आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (उपाबंध– 7 के अनुसार)	(1)– सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 3.00 लाख) (2)– अप्रवासी भारतीय/ शतप्रतिशत एफ0 डी0 आई0 निवेशक द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 3.15 लाख) (3)– महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति एवं विकलांग वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 3.30 लाख) (4)–अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित उद्योगों को स्थायी पूंजी निवेश का 1 प्रतिशत (अधिकतम सीमा ₹ 4.00 लाख)

9– अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :–

(1) जिन औद्योगिक इकाईयों ने अनुदान प्राप्त किया है, उन्हें जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को उत्पादन व विक्रय की जानकारी 5 वर्ष तक देनी होगी । यह जानकारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 3 माह के भीतर देनी होगी ।

(2) औद्योगिक इकाई को अनुदान की पात्रता अवधि में तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पश्चात समाप्त होने वाले पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली की जायेगी।

(3) अनुदान की पात्रता अवधि तथा पात्रता अवधि समाप्त होने के पांच वर्ष तक उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग की पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा, फैक्ट्री का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व परिवर्तन किया जा सकेगा तथा फैक्ट्री के अधोसंरचना तथा स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिर्वतन नहीं किया जायेगा । उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा प्रकरण के गुण– दोष के आधार पर इन बिन्दुओं पर निर्णय लिया जा सकेगा । इस शर्त का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली की जायेगी।

(4) अनुदान की पात्रता अवधि में अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क0 5(4) में उल्लेखित प्रतिशत बनाये रखना होगा । इस शर्त का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली की जायेगी।

10– ''परियोजना प्रतिवेदन अनुदान'' की वसूली :–

(1)– यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि एकमुश्त मय ब्याज, वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी । ब्याज की दर, वसूली आदेश पारित करने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली होने तक ब्याज देय होगा ।

(2)– अनुदान स्वीकृतकर्ता अधिकारी को यह अधिकार होगा कि स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात भविष्य में नियमानुसार नहीं पाये जाने पर अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें।

(3)– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 5 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी / अन्य देय अनुदानों में समायोजित की जा सकेगी ।

(4)– यदि अनुदान वितरण के पश्चात् 5 वर्षों की समाप्ति के पूर्व उद्योग बन्द हो जाये तो सम्पूर्ण परियोजना प्रतिवेदन अनुदान की वसूली की जायेगी।

(5)– यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति / जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण–पत्र/ विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र/ सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण–पत्र/ नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण–पत्र/अप्रवासी भारतीय/ शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक प्रमाण–पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।

11– <u>अपील / वाद :–</u>

1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी किन्तु यदि उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग ही प्रमुख सचिव/सचिव हैं तो यह अपील अपर संचालक को की जावेगी । अपर संचालक के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग को की जा सकेगी ।

2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित अपीलीय आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

4– अपील शुल्क का भुगतान ''निर्धारित हेड'' के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व/अपील निरस्तीकरण अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा/ जमा किया जायेगा ।

5– कोई भी अपील आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी ।

6– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा । अपीलीय

अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जायेगा ।

12— <u>स्वप्रेरणा से निर्णय :—</u>

राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/ संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें/स्वयं के निर्णय की/स्वीकृतकर्ता अधिकारी के निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जायेगा ।

13— <u>कार्यकारी निर्देश :—</u>

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक सक्षम होंगे एवं परियोजना प्रतिवेदन अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/ उद्योग संचालक द्वारा मार्गदर्शन दिया जायेगा ।

14— नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य किसी विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

15— इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

16— <u>योजना का क्रियान्वयन</u>

योजना का कियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जायेगा।

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 406/सी.एन. 29978/बजट—5/वित्त/चार 2010 दिनांक 12.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/—

(सरजियस मिंज)
अपर मुख्य सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

उपाबंध–1

(नियम 7.1)

छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम–2009

के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्योग का संगठन–

3– उद्यमी का वर्ग–

4– फैक्ट्री स्थल –

स्थान

विकास खंड

जिला

5– ई0एम0पार्ट–1 एवं ई0एम0पार्ट–2 कमांक व दिनांक

6– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र कमांक व दिनांक –

6.1 उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता

6.2 वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक –

6.3 स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –

7– परियोजना प्रतिवेदन संबंधी जानकारी–

अ– अनुमोदन प्राप्त प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता तथा अनुमोदन पत्र क्रमांक जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है

ब– प्रोजेक्ट कंसलटेंट को भुगतान की गयी राषि

स– क्लेम राशि

द– कंसल्टेंट द्वारा दर्शाई गई सकल पूंजीगत लागत

8– रोजगार

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स				
योग				

स्थान :

दिनांकः

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम

पद

औद्योगिक इकाई का नाम व पता

/ / शपथ पत्र / /

मै..... आत्मज..... प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई..... .जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री..... में स्थित है, जिसका ई0एम0 पार्ट–1 क्रमांक ....., ई0एम0 पार्ट–2 क्रमांक .... / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... है, निम्नानुसार घोषणा करता हूं :–

1– उपरोक्त पंजीकरण /प्रमाण पत्र के द्वारा पंजीकृत स्थापित उद्योग हेतु मैंने राज्य शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/ उद्योग संचालनालय/ छत्तीसगढ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि0 द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट कंसल्टेंट, उद्यमिता विकास केन्द्र, छत्तीसगढ़ इण्डस्ट्रियल एण्ड टेक्नीकल कंसल्टेंसी सेन्टर, ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एवं राष्ट्रीय स्तर की वित्तीय संस्थाओं द्वारा अनुमोदित व्यवसायिक कन्सल्टेंट ....से ..... उद्योग की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन तैयार करवाया है व इसका रूपये ....(अक्षरों में) रू..... का भुगतान किया गया है ।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन/अन्य किसी राज्य शासन के किसी विभाग /निगम/मंडल/बोर्ड/आयोग/वित्तीय संस्थाओं/बैंक से परियोजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा भारत सरकार/राज्य शासन/अन्य किसी राज्य शासन के विभाग /निगम /मंडल/बोर्ड/आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/बैंक से परियेाजना प्रतिवेदन अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है ।

3– यह प्रमाणित किया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन किया जायेगा ।

4– यह भी घोषणा की जाती है कि औद्योगिक इकाई के उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 05 वर्ष की अवधि तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिषत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण /मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राषि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राषि मय निर्धारित ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांकः

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता

औद्योगिक नीति 2009–14 का परिशिष्ट–2
(संतृप्त उद्योगों की सूची जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं है)

(1) स्टोन क्रेशर/गिट्टी निर्माण

(2) कोल एवं कोक ब्रिकेट, कोल स्क्रीनिंग (कोल वाशरी को छोड़कर)

(3) लाईम पाउडर, लाईम चिप्स, डोलोमाईट पाउडर एवं समस्त प्रकार के मिनरल पाउडर

(4) समस्त खनिज पदार्थों की क्रशिंग, ग्राईडिंग, पलवराइजिंग

(5) चूना निर्माण,

(6) पान मसाला, सुपारी एवं अन्य तंबाकू आधारित उद्योग

(7) पोलिथिन बेग (एच.डी.पी.ई. बेग्स को छोड़कर)

(8) एल्कोहल, डिस्टलरी एवं एल्कोहल पर आधारित बेवरेजेस

(9) स्पंज आयरन

(10) राईस मिल

(11) मिनी सीमेंट प्लांट/क्लिंकर

(12) फटाका, माचिस एवं आतिशबाजी से संबंधित उद्योग

(13) आरा मिल (सॉ मिल)

(14) लेदर टैनरी

(15) जाब वर्क्स (सूक्ष्म उद्योगों द्वारा किये जाने वाले जॉब वर्क को छोड़कर)

(16) भारत सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम द्वारा स्थापित उद्योग

(17) ऐसे अन्य उद्योग जो राज्य शासन द्वारा अधिसूचित किए जाएं

******

टीपः– संतृप्त श्रेणी का उद्योग अन्य किसी श्रेणी के उद्योग के साथ स्थापित किये जाने की दशा में सम्पूर्ण परियोजना को संतृप्त श्रेणी का मानते हुये अनुदान एवं छूट की पात्रता निर्धारित की जायेगी ।

औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्टि–5 में सम्मिलित उद्योग, जिन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी

अ– सीमेंट / क्लिंकर प्लांट

ब– इन्टीग्रेटेड स्टील प्लांट

स– एल्यूमिना / एल्युमिनियम प्लांट

द– ताप विद्युत संयंत्र (केप्टिव विद्युत संयंत्र को छोड़कर)

उपाबंध–3

(नियम 7.1 (3)

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर)

औद्योगिक इकाई ..... जिसका पंजीकृत पता .... है व फैक्ट्री.....में स्थित है व जिसका ई0एम0 पार्ट–1 का क्रमांक ...., ई0एम0 पार्ट–2क्रमांक .....,एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... है, ने परियोजना प्रतिवेदन, कन्सलटेन्ट.....से तैयार करवाया है जिस पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक.....तक किया गया व्यय रूपये.....(अक्षरों में)..... निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है :–

क्र0	विवरण परियोजना प्रतिवेदन एजेन्सी का नाम एवं परियोजना प्रतिवेदन की विषय वस्तु	परियोजना प्रतिवेदन पर हुए व्यय की राशि	वास्तविक भुगतान की गयी राशि
1	2	3	4
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
	योग		

स्थान
दिनांकः

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील

हस्ताक्षर
मान्यता पत्र क्रमांक

''उपाबंध–4''

(नियम 7.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला.....

मेसर्स ..... पता..... ..... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009** ..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय
सील

प्रति,

मेसर्स.....
.....
.....

''उपाबंध 5''
(नियम 7.3)
निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता

2– उद्योग का संगठन–
3– उद्यमी का वर्ग–

4– फैक्ट्री स्थल –
स्थान
विकास खंड
जिला

5– ई0एम0 पार्ट–1 का विवरण एवं दिनांक

6– ई0एम0 पार्ट–2 का विवरण एवं दिनांक

7– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र का विवरण एवं दिनांक

8– स्थायी पूंजी निवेश (रू0 लाखों में)

9– परियोजना प्रतिवेदन संबंधी जानकारी–
अ– अनुमोदित प्रोजेक्ट कंसलटेंट का नाम व पता तथा अनुमोदन क्रमांक – जिससे परियोजना प्रतिवेदन तैयार कराया गया है

ब– कंसलटेंट को भुगतान की गयी राशि

स– क्लेम राशि

द– कंसल्टेंट द्वारा परियोजना प्रतिवेदन में दर्शाई गई सकल पूंजीगत लागत

10– उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है

11– रोजगार संबंधी टीप

क्र.	श्रम वर्ग	प्रदत्त रोजगार		राज्य के मूल निवासियों को रोजगार		प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियो को रोजगार का प्रतिशत
		औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण पर पाया गया रोजगार	औ0इकाई के आवेदन अनुसार दिया गया रोजगार	निरीक्षण के दौरान पाया गया रोजगार	
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग					
2	कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग					
3	प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स ..... योग					
	महायोग					

12– औद्योगिक इकाई द्वारा परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने में हुये ..... व्यय राशि में .....रू. मान्य है व अमान्य की गई राशि रू0.....है जिसके कारण निम्नानुसार है :–

1–

2–

3–

4–

13– अभिमत / अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान : नाम

दिनांक: पद

उपाबंध– 6

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों की सूची

1– जिला–रायपुर

विकास खण्ड–धरसीवां, तिल्दा, अभनपुर, बलौदाबाजार, सिमगा, आरंग, भाठापारा, पलारी ।

2– जिला–बिलासपुर

विकासखंड– बिल्हा, कोटा, तखतपुर, मुंगेली, पथरिया, लोरमी ।

3– जिला–दुर्ग

विकास खंड – बेमेतरा, साजा, धमधा, पाटन, गुंडरदेही, गुरूर, बालोद, बेरला, दुर्ग ।

4– जिला–राजनांदगांव

विकास खंड – राजनांदगांव।

5– जिला– महासमुंद

विकास खंड– महासमुंद, बागबहरा, सराईपाली।

6– जिला–धमतरी

विकास खण्ड– धमतरी, कुरूद, ।

7– जिला– कबीरधाम

विकास खण्ड– कवर्धा।

8– जिला– जांजगीर–चांपा

विकास खण्ड– डभरा, अकलतरा, सक्ती, चांपा (बम्हनीडीह), जांजगीर (नवागढ़), पामगढ़, बलौदा।

9– जिला– रायगढ़

विकास खण्ड– रायगढ़, पुसौर, घरघोड़ा, तमनार, खरसिया।

10– जिला– कोरबा

विकास खण्ड– कोरबा, कटघोरा ।

उपाबंध– 7

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु आर्थिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों की सूची

1– दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, उत्तर बस्तर कांकेर एवं बस्तर के समस्त विकासखंड

2– दुर्ग जिला – डौंडी, नवागढ़, एवं डौंडी–लोहारा विकासखंड ।

3– राजनांदगांव जिला – अंबागढ़–चौकी, मानपुर, मोहला, छुरिया, छुईखदान, डोंगरगढ़, डोंगरगांव एवं खैरागढ़ विकासखंड।

4– रायपुर जिला – गरियाबंद, मैनपुर, छुरा, देवभोग, कसडोल, फिंगेश्वर एवं बिलाईगढ़ विकासखंड ।

5– धमतरी जिला – नगरी एवं मगरलोड विकासखंड।

6– रायगढ़ जिला– धरमजयगढ़, बरमकेला, सारंगढ़ एवं लैलूंगा विकासखंड।

7– बिलासपुर जिला– गौरेला, पेण्ड्रा, मरवाही एवं मस्तूरी विकासखंड ।

8– महासमुंद जिला– बसना एवं पिथौरा विकासखंड।

9– कबीरधाम जिला– पंडरिया, लोहारा एवं बोड़ला विकासखंड।

10– जांजगीर–चांपा जिला– मालखरौदा एवं जैजेपुर विकासखंड।

11– कोरबा जिला– करतला, पोड़ी–उपरोड़ा एवं पाली विकासखंड।

उपाबंध–8
(नियम 7.3)

छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009 के अन्तर्गत अनुदान स्वीकृति आदेश
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/उद्योग संचालनालय

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक ..... दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना प्रतिवेदन अनुदान नियम 2009** के नियम **कमांक ''7.3''** में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **परियोजना प्रतिवेदन अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का स्वरूप (नवीन/ विस्तार) :

3– उद्यमी का वर्ग :

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता–

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल–
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– परियोजना प्रतिवेदन पर किया गया अनुमोदित व्यय–

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष– ..... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
.....
.....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जायेगा ।

मुख्य महप्रबंधक/महाप्रबंधक/
अपर संचालक/संयुक्त संचालक
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र /
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़